

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004552012

दांडिक प्रकरण क.-564 / 12

संस्थापित दिनांक-31.12.12

| | |
|---|---------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। | अभियोजन |
| विरुद्ध | |
| 01-केहरसिह पुत्र मनोहरसिह यादव आयु 26 वर्ष 02-मनोहरसिह पुत्र पूरनसिह आयु 55 वर्ष 03-राजाभैया पुत्र सूरतसिह यादव आयु 50 वर्ष निवासीगण ग्राम सिंहपुर चाल्दा, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) | आरोपीगण |
| राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री जाफरी अधिवक्ता। | |

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,294,506बी,34,325 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294,323/34, दो बार, 506बी,325 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कृपालसिंह ने दिनांक 24.12.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24.12.12 को 9 बजे करीब अशोक साहू की चक्की के पास ग्राम सिंहपुर चाल्दा चंदेरी में आरोपीगण ने आकर जमीन के वटवारे के उपर से गाली गलोच की तथा गाली देने से मना करने पर लाठी एवं लुहांगी से मारपीट की। फरियादी को बचाने आए उसके भाई हुकुमसिंह को भी लुहांगी मारी तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 405/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 324,323,294,506बी,34,325 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294,323/34दो बार, 506बी, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 24.12.12 को समय दिन के 09 बजे के करीब अशोक साहू की चक्की के पास ग्राम सिंहपुर चाल्दा में हुकुमसिंह के साथ धारदार हथियार लुहांगी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कृपालसिंह, अ.सा.2 हुकुमसिंह, अ.सा.3 मेघराज, अ.सा.4 केशकुवरबाई, अ.सा.5 महेन्द्र, अ.सा.6 सोभानसिंह, अ.सा.6 कुजूरुस्तम, अ.सा.7 डॉ सिद्धार्थ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 कृपालसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण ने आकर पीछे से कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसका भाई हुकुमसिंह जब उसे बचाने आया तब भी आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे वे लोग बेहोश हो गये थे और उनकी पत्नी आटो रिक्शा में रखकर चंदेरी लाई थी। अ.सा.1 के अनुसार उसे चोटें आई थी और उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने अस्पताल में घटना दिनांक को ही वयान दिये थे। उक्त साक्षी के अनुसार कुल्हाड़ी, लुहांगी के बाद उसे लाठी से भी चोटे आई थी। अ.सा.2 हुकुमसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने उसके भाई तथा उसकी लाठी व लुहांगी से मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटे आइ थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी भाभी व पिता उसे टैक्सी में रखकर चंदेरी लाए थे।

09— अ.सा.3 मेघराज, अ.सा.4 केशकुवरबाई एवं अ.सा.5 महेन्द्र पक्षद्रोही हो गये

है। तीनों साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा.3 ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष प्र0पी03 लगायत प्र0पी05 की कार्यवाही हुई थी। अ.सा.4 ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष प्र0पी06 के नक्सा मोका की कार्यवाही हुई थी। अ.सा.5 ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने फरियादी की मारपीट की थी। अ.सा.5 ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने बीचबचाव किया था। तीनों साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.6 शोभानसिंह भी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में बीचबचाव किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट की थी उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है।

10— अ.सा.8 डॉ एस पी सिद्धार्थ ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 24.12.12 को आहत हुकुमसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी013 है जिसके अनुसार आहत के शरीर पर 7 चोटें आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत कृपाल का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर 5 चोटें पाई थी जिनमें से अधिकतर चोटें धारदार हथियार से आना प्रकट हो रही थी। इसी प्रकार अ.सा.7 रुजरुस्तम जो कि मामले का विवेचक है ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी06 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के अनुसार लाठी जप्त की थी तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

11— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभियोजन पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.1 एवं अ.सा.2 के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गये हैं। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने अभियोजन

की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 ने स्पष्टरूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा लोहांगी से मारपीट की गई। उक्त तथ्य की संपुष्टि अ.सा.8 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा.8 ने अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आहत कृपालसिंह को आई चोट किसी धारदार हथियार से आना प्रकट हो रही थी। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई थी।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324 के आरोप सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

14— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जाफरी का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं

है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध लोंहांगी जैसे खतरनाक हथियार से किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपीगण एवं फरियादी पक्ष का आपस में राजीनामा हो गया है। आरोपीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। ऐसी दशा में जबकि दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया है तथा दोनों पक्ष आपसी सोहाद्र से मिलकर रह रहे हैं, यदि आरोपीगण को कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल दोनों पक्षों के संबंध पर पड़ेगा बल्कि आरोपीगण के परिवार पर भी पड़ने की संभावना है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324 के अपराध में 1000—1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

16— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहांगी एवं बांस की लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे, अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

18— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)